

प्रपत्र—V

[नियम 15 का उप—नियम (5) तथा नियम 79 का उप—नियम (7) (क),(ख) व (2)]

जिन माता—पिता/संरक्षकों/नातेदारों अथवा उपयुक्त व्यक्ति की देखरेख में किशोर/किशोरी को रखा
जाए, उनके द्वारा निष्पादित किया जाने वाला वचनबंध/बंधपत्र

चूँकि मैं..... माता—पिता, संरक्षक, नातेदार या वह उपयुक्त व्यक्ति होने
के नाते, जिनकी देख रेख में..... (किशोर/किशोरी का नाम) को रखे जाने का
आदेश किशोर न्याय बोर्ड..... द्वारा दिया गया है, उक्त बोर्ड द्वारा मुझे
जमानत सहित अथवा जमानत के बिना..... रूपये (अंकों में) /
रूपये (शब्दों में) वचन पत्र/बंधपत्र निष्पदित करने का आदेश दिया गया है, इसलिए मैं अपनी देख रेख
में रखे गये उक्त..... के सम्बन्ध में स्वयं को एतदद्वारा आबद्ध करता हूँ। मैं उक्त
..... की समुचित देखरेख की व्यवस्था करूँगा और मैं यह भी वचन देता हूँ
कि यह मेरी जिम्मेदारी होगी कि उक्त..... अच्छा व्यवहार करे और मैं
से वर्ष की अवधि तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करूँगा :

1. मैं परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता के माध्यम से किशोर न्याय बोर्ड को
लिखित में पूर्व—सूचना दिए बिना अपना निवास स्थान नहीं बदलूँगा ;
2. मैं किशोर न्याय बोर्ड की लिखित अनुमति प्राप्त किए बना किशोर/किशोरी को उक्त न्याय
बोर्ड के क्षेत्राधिकारी की सीमा से बाहर नहीं ले जाऊँगा ;
3. मैं उक्त किशोर/किशोरी को स्कूल/उक्त बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित व्यवसाय के लिए
भेजूँगा, यदि मेरे नियंत्रण से बाहर किन्हीं परिस्थितियों के कारण मैं ऐसा करने में असमर्थ
न हुआ ;
4. मैं उक्त किशोर/किशोरी को नियमित रूप से उपस्थित केन्द्र भेजूँगा यदि मेरे नियंत्रण से
बाहर किन्हीं परिस्थितियों के कारण मैं ऐसा करने में असमर्थ न हुआ ;
5. मैं आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड को तत्काल रिपोर्ट करूँगा ;
6. यदि मेरी देखरेख में रखे गए किशोर/किशोरी ने बोर्ड के आदेशों का पालन नहीं किया
गया, उसका व्यवहार मेरे नियंत्रण से बाहर हो गया तो मैं उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत
करूँगा ;
7. मैं परिवीक्षा अधिकारी/मामला विशिष्ट कार्यकर्ता को पर्यवेक्षण दायित्व निभाने के लिए हर
अवश्यक सहायता प्रदान करूँगा ;
8. मैं वचन देता हूँ कि उपर्युक्त शर्तों के पालन में मुझसे कोई चूक हो जाने पर मैं, यथास्थित,
उपर्युक्त कार्रवाई के लिए बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने या सरकार को.....
रूपये (अंकों में) / रूपये (शब्दों में) अदा करने के लिए आबद्ध
रहूँगा।

वचनबंध/बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए

प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड

यदि किशोर न्याय बोर्ड कोई अतिरिक्त शर्त/शर्त जोड़ना चाहे तो उसे/उन्हें समुचित संख्यांक देते हुए जोड़े।

(जहाँ जमानत सहित बन्धपत्र निष्पादित किया जाना हो, वहाँ जोड़े)

मैं/हम..... निवासी..... (निवास स्थान का पूरा पता) इस वचनबंध/बंधपत्र की शर्तों के पालन हेतु उक्त.....(वचनबंध/बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम) के लिए स्वयं को एतद्वारा जमानती घोषित करता हूँ/करते हैं। इन शर्तों के पालन में.....(वचनबंध/बंधपत्र निष्पादित करने वाले व्यक्ति का नाम) से कोई चूक हो जाने पर, मैं/हम संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग सरकार कोरूपये (अंको में) /रूपये (शब्दों में) अदा करूंगा/करेंगे।

..... की उपस्थिति में..... दिनांक (माह) 20.....वर्ष को निष्पादित।

(मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए)

जमानती (जमानतियों)

के हस्ताक्षर

प्रधान दंडाधिकारी, किशोर न्याय बोर्ड